राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4133/2010

गंगाराम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर।
3. खैरूलाल जगरावल, कार्यालय सहायक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर–द्वितीय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.11.2010
आदेश की दिनांक : 12.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल एवं श्री रामेश्वर गुर्जर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि जो लाभ, पदोन्नति जिस वर्ष में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रदान की गई है, अपीलार्थी को भी उसी वर्ष में पदोन्नति आदि लाभ प्रदान किये जावें और समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एलडीसी के पद पर आदेश दिनांक 02.03.1983 के द्वारा हुई थी और निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की नियुक्ति भी अपीलार्थी के साथ उसी तिथी को हुई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 03.12.1987 को आरपीएससी द्वारा आयोजित एलडीसी की परीक्षा उत्तीर्ण की और निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 ने भी दिनांक 17.10.1989 को उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की तथा विभाग द्वारा एलडीसी के पद की वरिष्ठता सूची दिनांक

28.04.1993 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 642 और निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम क्रम संख्या 905 पर अंकित किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 26.11.1994 के द्वारा यूडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को आदेश दिनांक 15.11.2000 के द्वारा यूडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया, परंतु उसे पदोन्नति वर्ष 1990–91 दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 18.07.2001 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और पुनः अपीलार्थी ने वर्ष 2005 में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया और विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को आदेश दिनांक 25.01.2010 के द्वारा कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नति के लिये आदेशित किया गया। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2587/2010 प्रस्तुत की, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया और अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि जो लाभ, पदोन्नति जिस वर्ष में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रदान की गई है, अपीलार्थी को भी उसी वर्ष में पदोन्नति आदि लाभ प्रदान किये जावें और समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि आदेश दिनांक 03.03.1999 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की वरिष्ठता क्रमांक 905 के स्थान पर 102ए संशोधित किया गया, जिसके क्रम में वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत कर डीपीसी वर्ष 1990–91 आवंटित किया गया, जो कि वरिष्ठ लिपिक की वर्ष 2009 की अंतिम वरिष्ठता सूची में क्रमांक 126 पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम होने तथा अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 411 पर होने के कारण अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया। इस प्रकार वरिष्ठ लिपिक की दिनांक 01.04.2009 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को डीपीसी वर्ष 1990–91 में क्रम संख्या 126 पर नाम दर्ज होने के कारण कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया, जो नियमानुसार सही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एलडीसी के पद पर आदेश दिनांक 02.03.1983 के

द्वारा हुई थी और निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की नियुक्ति भी अपीलार्थी के साथ उसी तिथी को हुई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 03.12.1987 को आरपीएससी द्वारा आयोजित एलडीसी की परीक्षा उत्तीर्ण की और निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 ने भी दिनांक 17.10.1989 को उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की तथा विभाग द्वारा एलडीसी के पद की वरिष्ठता सूची दिनांक 28.04.1993 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 642 और निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम क्रम संख्या 905 पर अंकित किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 26.11.1994 के द्वारा यूडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को आदेश दिनांक 15.11.2000 के द्वारा यूडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया, परंतु उसे पदोन्नति वर्ष 1990–91 दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 18.07.2001 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और पुनः अपीलार्थी ने वर्ष 2005 में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी से वरिष्ठता में कनिष्ठ होने के बावजूद निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी से वरिष्ठ मानते हुये वरिष्ठता प्रदान करने एवं कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि आदेश दिनांक 03.03.1999 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की वरिष्ठता क्रमांक 905 के स्थान पर 102ए संशोधित किया गया, जिसके क्रम में वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत कर डीपीसी वर्ष 1990–91 आवंटित किया गया, जो कि वरिष्ठ लिपिक की वर्ष 2009 की अंतिम वरिष्ठता सूची में क्रमांक 126 पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम होने के आधार पर उसे पदोन्नति प्रदान की गई, परंतु अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 411 पर होने के कारण अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया। इस प्रकार वरिष्ठ लिपिक की दिनांक 01.04.2009 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को डीपीसी वर्ष 1990–91 में क्रम संख्या 126 पर नाम दर्ज होने के कारण कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य